3/7/2025 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप०।
वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर
प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा
को इस बाबत पाबंद किया जाता है कि
वे वादीगण व स्व. प्रतिवादीगण की खातेदारी
आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी न
करें एवं न ही वादीगण व स्व. प्रतिवादीगण
को उनकी खातेदारी आराजी में काश्त करने
में कोई समस्या उत्पन्न करें। निर्णय
पृथक से लिखवाया गया।
पत्रावली मुकदमा शुमार होकर नंबर
से कम की जाकर दाखिल दफ्तर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:05:10 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

डिकरी व मुकदमें इब्तादाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

मु0 उ0 विद्यादेवी बनाम बल्लो वगै0

दावा बाबत्‌ 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 73/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी
मिनजानिब मुद्दई व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व
डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खाता संख्या 578 के आराजी खसरा नं0 1055 रकवा 0.30 हैक्टे. 1057 रकवा 0.46 हैक्टे. किता 02 रकवा 0.76 हैक्टे. वाके ग्राम उंच तहसील नदबई जिला भरतपुर में दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से इस बाबत पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण एवं तर0 प्रतिवादीगण की उक्त खातेदारी आराजी में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करें एवं न ही वादीगण एवं तर0 प्रतिवादीगण को उनकी खातेदारी आराजी में काश्त करने में कोई समस्या उत्पन्न करें। पर्चा डिक्री जारी हों

खर्चा इस मुकदमें के गयसुद व शरह बैज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – –
————————फीसदी सालाना आज की तारीख से तरीख व सुलयाबी तक ———————— की अदा करें ।

ब दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 03/07/25 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत— 3/7/25

उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:05:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. विद्यादेवी पत्नि बहादुर सिंह जाति जाटव निवासी जाजउ तहसील किरावली जिला आगरा

—वादिनी

बनाम

1. बल्लो पुत्र हरचंदी जाति गुर्जर निवासी उंच तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

—असल प्रतिवादीगण

3. योगेश पि0 बहादुरसिंह जाति जाटव निवासी जाजउ तहसील किरावली जिला आगरा हाल निवासी नंगला भगत धनौली तहसील व जिला आगरा।
4. उम्बेश सिंह पि0 बहादुरसिंह जाति जाटव निवासी जाजउ तहसील किरावली जिला आगरा हाल निवासी नंगला भगत धनौली तहसील व जिला आगरा।
5. भाग्यवती उर्फ भाग्यश्री पुत्री बहादुरसिंह जाति जाटव निवासी जाजउ तहसील किरावली जिला आगरा हाल निवासी नंगला भगत धनौली तहसील व जिला आगरा।
6. खुशी पुत्री बहादुरसिंह जाति जाटव निवासी जाजउ तहसील किरावली जिला आगरा हाल निवासी नंगला भगत धनौली तहसील व जिला आगरा।

—तर0 प्रतिवादीगण

3/10/25
उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:05:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 73/2022
आरसीएमएस नं0 2022/137
किस्म दावा 188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 03.07.2025

1. विद्यावती पत्नि बहादुर सिंह जाति जाटव निवासी जाजउ तहसील किरावली जिला आगरा

—वादिनी

बनाम

1. बल्लो पुत्र हरचंदी जाति गुर्जर निवासी ऊंच तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

—असल प्रतिवादीगण

3. योगेश पि0 बहादुरसिंह जाति जाटव निवासी जाजउ तहसील किरावली जिला आगरा हाल निवासी नंगला भगत धनौली तहसील व जिला आगरा।
4. उन्मेश सिंह पि0 बहादुरसिंह जाति जाटव निवासी जाजउ तहसील किरावली जिला आगरा हाल निवासी नंगला भगत धनौली तहसील व जिला आगरा।
5. भाग्यवती उर्फ भाग्यश्री पुत्री बहादुरसिंह जाति जाटव निवासी जाजउ तहसील किरावली जिला आगरा हाल निवासी नंगला भगत धनौली तहसील व जिला आगरा।
6. खुशी पुत्री बहादुरसिंह जाति जाटव निवासी जाजउ तहसील किरावली जिला आगरा हाल निवासी नंगला भगत धनौली तहसील व जिला आगरा।

—तर0 प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री महावीर प्रसाद एड0(वादी की ओर से

निर्णय दावा अन्त.धारा 188 आर.टी.ए.

वादीगण द्वारा अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-

1. यह है कि पक्षकारान मुकदमे में ऐसा कोई संरक्षक नहीं है, जो दावा के अयोग्य हो सभी पक्षकारान वाद लडने योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:05:10 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

2. यह है कि विवादित आराजी खाता संख्या 578 के आराजी खसरा नं0 1055 रकबा 0.30 हैक्टे., 1057 रकबा 0.46 हैक्टे. किता 02 रकबा 0.76 हैक्टे. वाके ग्राम उंच तहसील नदबई जिला भरतपुर में स्थित है।

3. यह है कि विवादित आराजी वादपत्र की आराजी वादिनी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 की सहखातेदारी काश्तकारी की आराजी है। जिस पर वादिनी एवं तर0 प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त विवादित आराजी से असल प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार किसी किस्म का नहीं है।लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है। जो कि लट्ठ व ताकत के बल पर विवादित आराजी वादपत्र की आराजी पर अवैध कब्जा अतिक्रमण करने पर आमादा है। तथा वादिनी व तर. प्रतिवादीगण को विवादित आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। जबकि प्रतिवादीगण संख्या 01 को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। एवं न ही कोई ही डौर मेढ लगी है।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है वादपत्र वादिनी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे।

(अ) यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी वर्णित वादपत्र की आराजी में मदाखलत मजाहमत न करें, कब्जा काश्त में दखल न करें तथा वादिनी व तरतीवी प्रतिवादीगण को विवादित आराजी के कब्जाा काश्त में दखल न करें तथा वादिनी को जोतने बोने से नहीं रोके।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रतिवादीगणों के खिलाफ नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संबत 2075–78 वाके ग्राम उंच पेश की गयी, नकल नामान्तरण संख्या 706 खसरा सं0 717 दिनांक 5.06.1993 ग्राम उंच पेश की गई। एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में विद्यादेवी पत्नी श्री बहादुरसिंह जाति जाटव निवासी आजउ तहसील किरावली जिला आगरा हाल निवासी [illegible] तहसील व जिला आगरा के बयान पेश किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:05:10 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा बहस को सुना गया, तथा पत्रावली में उपलब्ध साबिक रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीए के तहत पेश किया गया है। विवादित आराजी खाता संख्या 578 के आराजी खसरा नं0 1055 रकवा 0.30 हैक्टे., 1057 रकवा 0.46 हैक्टे. किता 02 रकवा 0.76 हैक्टे. वाके ग्राम उंच तहसील नदबई जिला भरतपुर में स्थित है। विवादित आराजी वादिनी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 की सहखातेदारी काश्तकारी की आराजी है। जिस पर वादिनी एवं तर0 प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त विवादित आराजी से असल प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार किसी किस्म का नहीं है। वादीगण को खातेदारी अधिकार कानूनन प्राप्त हैं इसलिए वादी को खातेदारी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। दावा वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खाता संख्या 578 के आराजी खसरा नं0 1055 रकवा 0.30 हैक्टे., 1057 रकवा 0.46 हैक्टे. किता 02 रकवा 0.76 हैक्टे. वाके ग्राम उंच तहसील नदबई जिला भरतपुर में दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से इस बाबत पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण एवं तर0 प्रतिवादीगण की उक्त खातेदारी आराजी में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करें एवं न ही वादीगण एवं तर0 प्रतिवादीगण को उनकी खातेदारी आराजी में काश्त करने में कोई समस्या उत्पन्न करें।

निर्णय आज दिनांक 03.07.25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

3/7/25

(गंगाधर मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:05:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner